

फर्द अहकाम

सीनाराय

बनाम सुरेश कुमार की

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

सं 298/23

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
28/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। मूल वाद अदम- पैकी अदम लक्ष्मिरी में खारिज हो चुका है। अतः T.T प्रा. पत्र और चिस हीज होने पर खारिज करमाया जाता है। पत्रावली के मूल शुमार होकर दूसर दाखिल की दर्ज नम्बर से कम की।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल</p>	